

यतः यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा प्रतिभूतिकरण और वित्तीय अस्तित्यों का पुर्नगठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न ऋणकर्ता (ओं) /गारंटीकर्ता(ओं) को मांग पत्र जारी की जिसमें बकाया धन राशि के व्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अंदर भुगतान करने की मांग की गई थी। यह कि निम्नलिखित ऋणकर्ता (ओं) /गारंटीकर्ता(ओं) बैंक की धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे अतः एतद्द्वारा ऋणकर्ता (ओं) /गारंटीकर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित संपत्तियों का अधिपत्य बकाया का विवरण कर लिया है। निम्नका विवरण अधोवर्णित है। ऋणकर्ता (ओं) को विशेष रूप से तथा सर्व साधारण को सामान्यता सूचित किया जाता है कि इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का लेनदेन ना करें। यह संपत्ति यूको बैंक के प्रभार के अध्वधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि व्याज और अन्य खर्च देय है। यह कि एतद्द्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणधारको को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थाय संपत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **28.03.2018** को बिक्री करने का निर्णय लिया गया है। संपत्ति की बिक्री जो है जैसी है तथा जहां है जैसी है के आधार पर की जाएगी।

खतोदार का नाम व पता	बकाया धनराशि / मांग सूचना / अधिग्रहण दिनांक	संपत्ति का विवरण / बंधक सम्पत्ति के मालिक का नाम	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की दिनांक व समय
जितेन्द्र कुमार माहुर एवं कंचन देवी, कम्पू मोहल्ला, शिवाजी नगर, टॉक	10,48,788.40 (व्याज एवं खर्च अतिरिक्त) मांग सूचना दिनांक 31.01.2017 अधिग्रहण तिथि 28.12.2017	कंचन देवी के नाम से आवासीय मकान, म.नं. 17-A , शिवाजी नगर, कम्पू मोहल्ला, टॉक, क्षेत्रफल-950 वर्ग फुट	13,90,000/- (रु. तेरह लाख नब्बे हजार मात्र) 1,39,000/- (रु. एक लाख त्रयसीस हजार मात्र) 2,000/- (रु. दो हजार मात्र)	28.03.2018 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक

स्थानीय स्वशासन को देय राशि:- जो भी बकाया राशि लागू हो।

नियम व शर्तः 1. नीलामी बिक्री ऑनलाईन ई-नीलामी जिसमें वेबसाइट <https://www.bankeauctionwizard.com> के माध्यम से दिनांक 28.03.2018 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 13:00 बजे के मध्य बोली लगाकर की जाएगी। (असिमित प्रत्येक 5 मिनट का स्वतः विस्तार के प्रावधान के साथ) । 2. इच्छुक निविदाकर्ता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु नीलामी की तिथि से पूर्व M/S Antares Systems Limited, संपर्क सूत्र: श्री कुशाल बोस 07686913157, ई-मेल: kushal.b@antaresystems.com / श्री हेमन्त श्रीवास्वत 8208626379, 7709933635, hemant.ps@antaresystems.com, प्रधान कार्यालय : 08049352000/08040482000 के पोर्टल पर पंजीकरण कर लॉगईन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य है। 3. ई-नीलामी की प्रक्रिया व शर्तों के विस्तृत जानकारी के लिये ईच्छुक बोलीकर्ता वेबसाइट <https://www.bankeauctionwizard.com> पर देख सकते हैं तथा संबन्धित प्रश्न डाउनलोड कर सकते हैं। 4. उपरोक्त तिथि की बिक्री आरक्षित मूल्य से कम में नहीं की जाएगी। 5. बिना निर्धारित प्राचर पर संबंधित विवरण सहित ऑनलाईन जमा होगी। 6. ऑनलाईन बिड जमा कराने की अंतिम तिथि 23.03.2018 सायं 04:00 बजे तक है। 7. धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक, टॉक शाखा या ऑनलाईन RTGS/NEFT द्वारा खाता संख्या 09080210000403, IFSC CODE- UCBA0000908 में जमा करानी होगी। 8. सफल निविदाकर्ता को खरीदी गई संपत्ति के मूल्य का 25% (धरोहर राशि घटाकर) ई-नीलामी की प्रक्रिया की समाप्ति के तुरन्त बाद उसी दिन, उसी प्रकार से करना होगा जैसा कि उक्त बिन्दु 7 में वर्णित है तथा शेष 75% राशि का भुगतान विवरण की सूचना दिये जाने /पुष्टि किये जाने के 15 दिन या उससे पहले करना होगा। 9. यदि सफल बोलीदाता उपरोक्तानुसार राशि जमा नहीं कराता है तो उसके द्वारा जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा। 10. असफल निविदाकर्ताओं द्वारा जमा की गई धरोहर राशि ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति पर लौटा दी जाएगी। 11. यह नीलामी/बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के विचारार्थीन है, यदि ऋणकर्ता, गारंटीकर्ता ई-नीलामी से पहले बैंक को बकाया राशि जमा करा देता है तो नीलामी/बिक्री नहीं की जाएगी। 12. संपत्ति की नीलामी 'जहां है जैसी है तथा जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है। इच्छुक उपरोक्त अचल संपत्ति के संबंध में अधिकार/स्वामित्व/टैक्स एवं देयता के सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो ले। ऑनलाईन बिड जमा कराने के उपरान्त किसी प्रकार की आपत्ति बकाया नहीं होगी। 13. अधोस्ताक्षरकर्ता के पास बिना पूर्व सूचना के बिना कोई कारण बताये किसी भी बिड को स्वीकार / स्वीकार अथवा स्थगित/बिक्री निरस्त करेन/किसी भी नियम व शर्तों को संशोधन करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा। 14. खरीदीदार को नियमानुसार वर्तमान तथा भविष्य में संपत्ति से संबंधित समस्त शुल्क/प्रभार जैसे स्टॉम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क सरकार को देय समस्त सांविधिक राशि, कर वहन करना होगा। विक्रय प्रमाण पत्र केवल सफल निविदाकर्ता के नाम पर ही जारी किया जायेगा। 15. इच्छुक खरीदीदार संपत्ति का निरीक्षण दिनांक 26.03.2018 तक बैंक कार्य समय में कर सकते हैं। 16. यह बिक्री सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों तथा दशार्थों के विषयकारी है। 17. अन्य जानकारी एवं बिक्री की जाने वाली संपत्ति की निरीक्षण हेतु प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक अंचल कार्यालय अजमेर से 0145-2622662, 2628552, 7903047401 एवं शाखा प्रबंधक यूको बैंक टॉक से 01432-247193 मो. 9599530434 पर संपर्क किया जा सकता है। 18. यह ऋणकर्ता (ओं) /गारंटीकर्ता (ओं) /के लिए विशेष रूप से तथा जनता के लिए सामान्य रूप से नोटिस है।
दिनांक : 23.02.2018 स्थान : टॉक

प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक